न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 166/2017

1. श्रीमती विजय देवी चौरड़िया पत्नि श्री गोरधन लाल चौरड़िया जाति जैन निवासी 36–ए मितल कॉलोनी, खोड़ा गणेश रोड़ मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती संतरा पत्नि स्व0 श्री जेठू
2. नाथू पुत्र स्व0 श्री जेठू
3. रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री जेठू
4. कालूराम पुत्र स्व0 श्री जेठू
   सर्व जाति माली सर्व निवासीगण मालियों की बाड़ी किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः 15/12/204

उपस्थितः श्री प्रतीक मेहता प्रार्थीया अभिभाषक
अप्रार्थीगण अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा जरिये वकील श्री प्रतीक मेहता के माध्यम से राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 136 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण वास्ते नाम दुरूस्ती बाबत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम मदनगंज पटवार क्षेत्र मदनगंज भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र किशनगढ़ स्थित ख0नं0 1163 रकबा 03–01–10 भूमि में से 1/2 हिस्सा एवं ख0नं0 1172/ रकबा 00–05–00 भूमि में से 1/16 हिस्सा प्रार्थीया का खरीदशुदा, कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि है। प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 के पूर्वाधिकारी स्व0 जेठू द्वारा ख0नं0 1163/2 रकबा 03–01–10 भूमि को तथा ख0नं0 1172 रकबा 000–05–00 भूमि में 1/8 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 10.03.1975 को खरीद किया था, जिसके पश्चात् प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तु[illegible] 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद सं0 55/87 उनवान श्रीमती प्रकाश उर्फ विजय प्रकाश बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 12.02.2004 को [illegible] श्रीमती प्रकाश उर्फ विजय प्रकाश पत्नि श्री गोरधन लाल, 2/1 श्रीमती संतरा [illegible] जेठू, 2/2 नाथू पुत्र [illegible]मेश्वर

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.16 16:53:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

पुत्र जेठू, 2/4 कालूराम पुत्र जेठू माली निवासी चैनपुरिया ... 1163/2 रकबा 03-01-10 में संयुक्त खातेदारी की डिक्री पारित की गई और इसके सन्दर्भ में दिनांक 30.10.2007 को संशोधित डिक्री के द्वारा ख0नं0 1172 रकबा 00-05-00 की भूमि के 1/8 हिस्से पर "1. श्रीमती प्रकाश उर्फ विजय प्रकाश पत्नि श्री गोरधन लाल, 2/1 श्रीमती संतरा बेवा जेठू, 2/2 नाथू पुत्र जेठू, रामेश्वर पुत्र जेठू, 2/4 कालूराम पुत्र जेठू माली निवासी चैनपुरिया" का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश व डिक्री के आधार पर ख0नं0 1163/2 रकबा 03-01-10 में वादीया व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का नाम दिनांक 15.09.2004 को नामान्तकरण सं0 967 पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया और ख0नं0 1172 रकबा 00-05-00 किस्म गै0मु0 चाह में वादीया व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का नाम दिनांक 02.04.2008 को नामान्तकरण सं0 1487 पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। उक्त नामान्तकरण एवं कब्जे अनुसार वादीया ख0नं0 1163/2 रकबा 03-01-10 में 1/2 हिस्स पर तथा ख0नं0 1172 रकबा 00-05-00 में 1/16 हिस्से पर काबिज है। प्रार्थीया का सही नाम "विजय देवी चौरड़िया" है, किन्तु त्रुटिवश सहवन से विक्रय पत्र के निष्पादन व उसके पश्चात् राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण प्रार्थीया के नाम अंकन होते समय प्रार्थीया का नाम "प्रकाश उर्फ विजय प्रकाश" लिख दिया गया। प्रार्थीया करीब 16-17 वर्षो से राजस्थान से बाहर निवास कर रही है और उक्त कृषि भूमि ख0नं0 1163/2 में नामान्तकरण सं0 967 दिनांक ख0नं0 1172 में नामान्तकरण सं0 1487 दिनांक 02.04.2008 को दर्ज हुआ, उसमें प्रार्थीया का नाम श्रीमती विजय देवी चौरड़िया की बजाया श्रीमती प्रकाश उर्फ विजय प्रकाश दर्ज कर दिया गया था। प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजात् में प्रार्थीया का नाम विजय देवी चौरड़िया अंकित है। प्रार्थीया ने दिनांक 18.08.2017 को जब जमाबन्दी व नामान्तकरण की नकल प्राप्त की तब प्रार्थीया की जानकारी में आया कि राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश उसका नाम विजय देवी चौरड़िया के स्थान पर श्रीमती प्रकाश उर्फ विजय प्रकाश दर्ज हो रखा है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के गलत नाम की प्रविष्टि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीया का नाम गलत इन्द्राज होने से प्रार्थीया को काफी परेशानिया हो रही है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कारण दिनांक 18.08.2017 को राजस्व रिकार्ड के ... की नकल लेने पर गलत इन्द्राज की जानकारी होने ... सतत् जारी है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में ... राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के दर्ज नाम "श्रीमती प्रकाश उर्फ विजय प्रकाश" को शून्य घोषित कर सही नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.16 16:53:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

"विजय देवी चौरड़िया" होना घोषित किया जाकर तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वादीया का नाम "विजय देवी चौरड़िया" दुरूस्त किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त करने की डिक्री पारित करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 द्वारा अपना सहमती का जवाब पेश किया गया।

3.1 प्रकरण में अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 की ओर से सहमती का जवाब मय प्रारम्भिक आपत्ति के पेश कर अंकित किया कि उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2017 के उनवान में अप्रार्थीगण का पता "सर्व निवासीगण मालियों की बाड़ी, किशनगढ़" गलत लिखा गया है जबकि सही पता "सर्व निवासीगण लींक रोड़, सुमेर क्लब के पीछे, शनि मन्दिर व भैरू मन्दिर के पास पुरानी मिल के पीछे चैनपुरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0" है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति, उज्र एतराज नहीं है। प्रार्थीया का नाम श्रीमती प्रकाश उर्फ विजय प्रकाश शून्य घोषित कर सही नाम विजय देवी चौरड़िया होना घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विजय देवी चौरड़िया दुरूस्त किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त करने की डिक्री पारित करने एवं अप्रार्थीगण का पता सही कराने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया का सही नाम "विजय देवी चौरड़िया" है, किन्तु त्रुटिवश सहवन से प्रार्थना पत्र वर्णित विक्रय पत्र के निष्पादन व उसके पश्चात् राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण प्रार्थीया के नाम अंकन होते समय प्रार्थीया का नाम "प्रकाश उर्फ विजय प्रकाश" लिख दिया गया। प्रार्थीया करीब 16–17 वर्षो से राजस्थान से बाहर निवास कर रही है और उक्त कृषि भूमि ख0नं0 1163/2 में नामान्तकरण सं0 967 दिनांक ख0नं0 1172 में नामान्तकरण सं0 1487 दिनांक 02.04.2008 को दर्ज हुआ, उसमें प्रार्थीया का नाम श्रीमती विजय देवी चौरड़िया की बजाया श्रीमती प्रकाश उर्फ विजय प्रकाश दर्ज कर दिया गया था। प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजात् में प्रार्थीया का नाम विजय देवी चौरड़िया अंकित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के गलत नाम की प्रविष्टि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीया का नाम गलत इन्द्राज होने से प्रार्थीया को काफी परेशानिया हो रही है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.16 16:33:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीया के दर्ज नाम "श्रीमती प्रकाश उर्फ विजय प्रकाश" को शून्य घोषित कर सही नाम "विजय देवी चौरड़िया" होना घोषित किया जाकर तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीया का नाम "विजय देवी चौरड़िया" दुरूस्त किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त करने की डिक्री पारित करने का निवेदन किया।

4.2 अप्रार्थी सं0 2 व 3 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति, उज्र एतराज नहीं है। प्रार्थीया का नाम श्रीमती प्रकाश उर्फ विजय प्रकाश शून्य घोषित कर सही नाम विजय देवी चौरड़िया होना घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विजय देवी चौरड़िया दुरूस्त किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त करने की डिक्री पारित करने एवं अप्रार्थीगण का पता सही कराने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात् एवं अप्रार्थीगण के जवाब का अद्योपांत अवलोकन एवं अध्ययन किया जाकर बहस पक्षकारान् सुन मनन किया गया। पेरोकार सरकार तहसीलदार किशनगढ़ के जवाब अनुसार प्रार्थीया/वादीया द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.03.1975 से भूमि क्रय की गई थी जिसमें क्रेता का नाम प्रकाश उर्फ विजय प्रकाश धर्मपत्नि गोवर्धन लाल अंकित किया गया था एवं विक्रय पत्र अनुसार ही वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण खोला गया है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी यही अंकन यथावत है, इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिसकी की धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के तहत् शुद्धि की जा सके। क्योंकि धारा 136 के अन्तर्गत जमाबन्दी में वर्तनी अशुद्धि जो कि त्रुटि पूर्ण अंकित हो उसे सही किया जाता है। अतः उक्त प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की श्रेणी में नहीं आने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 15/12/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.16 16:53:37 IST
Reason: SelfAttested

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)